परिपत्र संख्या /0/2021

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान
"पंजीयन-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(40)जन/2021/13056 दिनांक : 11.10.2021

~:~ परिपत्र ~:~

विषयः– 25 लाख रूपये मूल्य तक के खाली भूखण्डों की अचल सम्पत्ति का मौका निरीक्षण करने के सम्बंध में।

राज्य अधिसूचना क्रमांक प.4(2)वित्त/कर/2018–71 दिनांक 04.10.2021 द्वारा खाली आवासीय भूखण्ड(प्लॉट), जिसका बाजार मूल्य 25 लाख रूपये से अधिक नहीं है, से सम्बंधित हस्तान्तरण विलेख पर दिनांक 31.12.2021 तक पंजीबद्ध होने पर स्टाम्प शुल्क घटाकर 4 प्रतिशत की दर से प्रभारित करने का प्रावधान किया गया है।

ऐसे दस्तावेज जिनमें उक्त राज्य अधिसूचना से छूट/रियायत प्रदान की गई है, उन दस्तावेजों का पंजीयन के बाद 15 दिवस के भीतर–भीतर मौका निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाये। यदि उन मामलों में किसी प्रकार का कोई निर्माण आदि पाया जाये या अन्यथा राजस्व अपवंचन पाया जाये तो कमी स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क एवं अन्य शुल्क की नियमानुसार तत्काल वसूली की कार्यवाही की जाये। राशि जमा नहीं होने की स्थिति में रेफरेन्स कलक्टर(मुद्रांक) को तत्काल संदर्भित करने की कार्यवाही की जाये।

यह परिपत्र पूर्व में जारी अन्य सभी परिपत्रों पर अभिभावी(**Overriding**) होगा।

11/10/21

(महावीर प्रसाद)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ–7(40)जन/2021/13057 – 13614 दिनांक : 11.10.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान।
2. समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन) राजस्थान।
3. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।

11.10.21

(ओंकार मल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर।